भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-81

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

टिहरी बांध क्षेत्र में आने वाले गांवों और शहरों का विकास

***81. श्री महेन्द्र सिंह माहराः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तराखंड में टिहरी बांध क्षेत्र में आने वाले गांवों व शहरों के विकास के लिए कौन-कौन से अभिकरण जिम्मेदार हैं;

(ख) क्या इन अभिकरणों ने इस मद के लिए धनराशि एकत्रित की है;

(ग) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक कितनी धनराशि एकत्रित की गई;

(घ) क्या इन अभिकरणों ने इस जमा धनराशि का उपयोग बांध क्षेत्र के अलावा अन्यत्र भी कहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"टिहरी बांध क्षेत्र में आने वाले गांवों और शहरों का विकास" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 24.07.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 81 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : टिहरी बांध परियोजना के निर्माण के बाद प्रभावित क्षेत्र में परिवारों के पुनर्वास का उत्तरदायित्व तथा सुविधाओं का विकास पुनर्वास निदेशालय, टिहरी बांध परियोजना, उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(ख) : पुनर्वास एवं निर्माण कार्यों के लिए निधियां भारत सरकार के उपक्रम टीएचडीसी इंडिया लि., जिसने परियोजना क्रियान्वित की है, द्वारा उत्तराखंड सरकार के पुनर्वास निदेशालय को जारी की गई है।

(ग) : उत्तराखंड सरकार द्वारा प्राप्त की गई राशि का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) : उत्तराखंड सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, प्राप्त राशि का उपयोग किसी अन्य कार्य में नहीं किया गया है।

(ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

****

<u>अनुबंध</u>

"टिहरी बांध क्षेत्र में आने वाले गांवों और शहरों का विकास" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 24.07.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 81 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

****

पुनर्वास निदेशालय, टिहरी बांध परियोजना, न्यू टिहरी के अंतर्गत, पुनर्वास कार्य पर वर्ष-वार आय-व्यय का ब्यौरा

क्रम सं.	**वित्तीय वर्ष**	**प्राप्त राशि (रुपए)**
	2010-11	9,91,57,422.00
	2011-12	1,25,49,33,423.00
	2012-13	4,71,50,911.00
	2013-14	5,71,30,600.00
	2014-15	13,72,91,970.00
	2015-16	17,65,07,905.00
	2016-17	13,70,41,264.00
कुल		**1,90,92,13,495.00**

टिप्पणी: उपर्युक्त प्राप्त राशि के 90% का उपयोग किया गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-83

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

अवरुद्ध पड़ी हुई जल विद्युत परियोजनाएं

***83. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डीः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तेरह हजार मेगावाट से अधिक क्षमता की कई जल विद्युत परियोजनाएं परियोजना विकास के विभिन्न चरणों में अवरुद्ध पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1 जुलाई, 2017 की स्थिति के अनुसार क्रमशः उक्त परियोजनाओं की लागत में और उन्हें पूरा किए जाने की समयावधि में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या जल और ताप विद्युत दोनों परियोजनाओं से ऊर्जा सृजन में शामिल विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करने और निवेश तथा मंजूरी प्रदान किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"अवरुद्ध पड़ी हुई जल विद्युत परियोजनाएं" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 24.07.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 83 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) से (ग) : दिनांक 01.07.2017 की स्थिति के अनुसार, कुल 5,055 मेगावाट की 14 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं, जो विभिन्न कारणों से रूकी हुई हैं। इन रूकी हुई परियोजनाओं के कारण सीईए द्वारा गणना की गई लागत वृद्धि 25,593.78 करोड़ रुपए है। इन रूकी हुई परियोजनाओं के संबंध में समय और लागत वृद्धि का ब्यौरा उनके कारणों सहित **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) और (ङ) : ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया गया है।

****

अनुबंध

"अवरुद्ध पड़ी हुई जल विद्युत परियोजनाएं" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 24.07.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 83 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

****

समय आधिक्य/लागत आधिक्य वाली निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) का ब्यौरा

01.07.2017 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./ निष्पादनाधीन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	अवरुद्ध होने/समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	केंद्रीय क्षेत्र										
1	लता तपोवन (3x57 = 171 मेगावाट) एनटीपीसी	उत्तराखंड	1 2 3	57 57 57	2017-18 2017-18 2017-18 (अगस्त, 17)	2021-22 2021-22 2021-22 (कार्यों के **पुनः शुरू** होने के अध्यधीन)	48	1,527.00 (12/06)	1,801.07 (12/13)	274.07	➢ उत्तराखंड में जून, 2013 के दौरान अचानक बाढ़। ➢ बैराज क्षेत्र में स्थानीय मामले/कार्य प्रारंभ न होना। ➢ **माननीय उच्चतम न्यायालय ने मई, 2014 से निर्माण कार्य पर रोक लगाई।**
2	सुबानसिरी लोअर (8x250 = 2,000 मेगावाट) एनएचपीसी	अरुणाचल प्रदेश/असम	1 2 3 4 5 6 7 8	250 250 250 250 250 250 250 250	2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11	2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 (कार्यों के **पुनः शुरू** होने के अध्यधीन)	120	6,285.33 (12/02)	17,435.15 (02/16)	11,149.82	➢ वनभूमि के हस्तांतरण में विलंब। ➢ अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा कार्यों में बाधा। ➢ जनवरी, 2008 में पावर हाउस में स्लोप विफलता। ➢ रंगानदी नदी पर पुल को क्षति। ➢ सर्ज शॉफ्ट्स से सर्ज टनल्स के डिजाइन में परिवर्तन। ➢ **असम में, परियोजना के निर्माण के विरोध में बांध विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रारंभ आंदोलन के कारण कार्यबंदी। दिनांक 16.12.2011 से कार्य रूका।** ➢ डी/एस प्रभाव अध्ययनों का मामला। ➢ एनजीटी में मामला।

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./ निष्पादनाधीन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	अवरुद्ध होने/समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	राज्य क्षेत्र										
3	थोटियार (1x30+1x10)= 40 मेगावाट केएसईबी	केरल	1 2	30 10	2012-13 2012-13	2020-21 2020-21 (कार्यों के **पुनः शुरू** होने के अध्यधीन)	96	136.79 (2007)	150.02 (2007)	13.23	➢ भूमि अधिग्रहण मुद्दे। ➢ स्थानीय लोगों द्वारा वर्ष 2010 से 2012 तक वेयर और अप्रोच चैनल के कार्य रोक दिए गए। ➢ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2012 से अप्रैल, 2013 तक कार्य रोक दिया गया। ➢ संविदा संबंधी मामले। ➢ संविदाकार के साथ वित्तीय कठिनाई।
4	शाहपुरकंडी 3x33+3x33+1x8 =206 मेगावाट, सिंचाई विभाग और पीएसपीसीएल	पंजाब	1 2 3 4 5 6 7	33 33 33 33 33 33 8	2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18	2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 (कार्यों के **पुनः शुरू** होने के अध्यधीन)	36 36	2,285.81 (04/08)	2,285.81 (04/08)	शून्य	➢ रावी नदी के पानी के हिस्से और प्रशुल्क के कारण जम्मू व कश्मीर और पंजाब के बीच अंतरराज्य विवाद से 29.08.2014 से डैम का कार्य रोक दिया गया।
											➢
5	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2x40 = 80 मेगावाट डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	1 2	40 40	2017-18	2019-20 (कार्यों के **पुनः शुरू** होने के अध्यधीन)	24	245.02 (1999)	1,494.94 (2014)	1,249.92	➢ कार्यों की धीमी प्रगति। ➢ परियोजना लागत बढ़ने के कारण वित्तीय समस्याएं। आरसीई अनुमोदनाधीन।
	निजी क्षेत्र										
6	टिडोंग-I 2x50 =100 मेगावाट एनएसएल टिडोंग	हिमाचल प्रदेश	1 2	50 50	2013-14 2013-14	2018-19 2018-19 (कार्यों के **पुनः शुरू** होने के अध्यधीन)	60	543.15 (08/05)	1,286.27 (01/17)	743.12	➢ परियोजना प्रभावित पंचायतों द्वारा एनओसी में विलंब। ➢ सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए कार्यों को लंबित करना। ➢ विकासकर्ता के साथ निधि की समस्या

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./ निष्पादनाधीन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	अवरुद्ध होने/समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	टंगनु रोमई-I (2x22 = 44 मेगावाट) टीआरपीजीपीएल	हिमाचल प्रदेश	1 2	22 22	2014-15 2014-15	2019-20 2019-20 (कार्यों के **पुनः शुरू** होने के अध्यधीन)	60	255.00 (2006)	562.97 (01/17)	307.97	➢ सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। ➢ खराब भौगोलिक परिस्थिति। ➢ कठिन क्षेत्र। ➢ जलवायु परिस्थितियां एवं पहुंच। ➢ विकासकर्ता के साथ वित्तीय समस्याएं।
8	सोरांग (2x50 = 100 मेगावाट), एचएसपीपीएल	हिमाचल प्रदेश	1 2	50 50	2012-13 2012-13	2018-19 2018-19 (कार्यों के पुनः **शुरू** होने के अध्यधीन)	72	586.00 (2006)	586.00 (संशोधनाधीन)	-	➢ खराब भौगोलिक स्थिति। ➢ खराब मौसमी स्थिति, कठिन एवं खराब पहुँच। ➢ नवंबर, 2013 में वाटर कंडक्टर सिस्टम के भराव के दौरान पैनस्टॉक क्रैक्स/लीकेज। ➢ ट्रायल रन के दौरान नवं.-15 में पेनस्टॉक सरफेस में दरार। ➢ विकासकर्ता के साथ निधि संबंधी बाधाएं।
9	महेश्वर (10x40 = 400 मेगावाट) एसएमएचपीसीएल	मध्य प्रदेश	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02	2018-19 (कार्यों के **पुनः शुरू** होने के अध्यधीन)	204	1,569.27 (96-97)	6,793.00	5,223.73	➢ आरएंडआर मुद्दे। ➢ विकासकर्ता के साथ नकद प्रवाह की समस्या।
10	तीस्ता स्टेज-VI (4x125 = 500 मेगावाट) लैंको एनर्जी प्रा. लि.	सिक्किम	1 2 3 4	125 125 125 125	2012-13 2012-13 2012-13 2012-13	2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 (कार्यों के **पुनः शुरू** होने के अध्यधीन)	108	3,283.08 (2008)	7,542.00 (12/16)	4,258.92	➢ खराब भौगोलिक स्थिति। ➢ भूमि अधिग्रहण। ➢ संविदा संबंधी मामले। ➢ विकासकर्ता के साथ निधि संबंधी बाधाएं।
11	रंगित-IV एचई परियोजना (3X40 = 120	सिक्किम	1 2 3	40 40 40	2011-12 2011-12 2011-12	2019-20 2019-20 2019-20	96	726.17 (09/07)	1,692.60 (06/16)	966.43	➢ खराब भौगोलिक स्थिति के कारण एचआरटी और सर्ज शॉफ्ट कार्यों की धीमी प्रगति। ➢ सितंबर, 2011 में भूकंप के कारण कार्य बाधित हुए।

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./ निष्पादनाधीन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	अवरुद्ध होने/समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	मेगावाट) जेपीसीएल					(कार्यों के **पुनः शुरू** होने के अध्यधीन)					➢ विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं।
12	रत्ले (4x205+1x30) = 850 मेगावाट रत्ले एचईपी प्रा. लि.	जम्मू व कश्मीर	1 2 3 4 5	205 205 205 205 30	2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18	2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 (कार्यों के **पुनः शुरू** होने के अध्यधीन)	48	5,517.02 (03/12)	6,257.00 (09/2013)	739.98	➢ कार्यों की धीमी प्रगति। ➢ बार-बार स्थानीय बाधा के कारण कार्य दिनांक 11.7.14 से लंबित रहा। ➢ विकासकर्ता परियोजना को राज्य सरकार को सरेंडर करना चाहता है।
13	गोंगरी 2x72= 144 मेगावाट दिरांग एनर्जी (पी) लि.	अरुणाचल प्रदेश	1 2	72 72	2017-18 2017-18	2020-21 2020-21 (कार्यों के **पुनः शुरू** होने के अध्यधीन)	36	1,436.27 (05/12)	1,535.91 (10/16)	99.64	➢कार्य दिनांक 22.11.2011 को अवार्ड किया गया। तथापि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की सहमति दिनांक 19.05.2014 को जारी हुई। ➢ विकासकर्ता के साथ वित्तीय समस्याएं।
14	पनन 4x75= 300 मेगावाट हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि.	सिक्किम	1 2 3 4	75 75 75 75	2018-19 2018-19 2018-19 2018-19	2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 (कार्य के **सक्रिय रूप से** शुरू होने के अध्यधीन)	36	1,833.05 (2009)	2,400.00 (09/16)	566.95	➢ एनडब्ल्यूएलबी से स्वीकृति दिसंबर, 2015 में प्राप्त। ➢ माननीय एनजीटी द्वारा स्वीकृति।
				5,055				26,228.96	51,822.74	25,593.78	

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-869

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

वित्तीय संकटग्रस्त विद्युत संयंत्रों के लिए राहत पैकेज

869. श्री डी. राजाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने टाटा, अम्बानी और एस्सार ग्रुप के वित्तीय संकटग्रस्त विद्युत संयंत्रों के लिए राहत पैकेज तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान में इन संयंत्रों की वित्तीय स्थिति कैसी है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने टाटा, अदानी एवं एस्सार ग्रुप के वित्तीय संकटग्रस्त विद्युत संयंत्रों के लिए किसी प्रकार का राहत पैकेज तैयार नहीं किया है तथा इन संयंत्रों की वित्तीय स्थिति के संबंध में कोई सूचना एकत्र नहीं की गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-886

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

886. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमारः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गांवों के विद्युतीकरण की स्थिति क्या है और देश में सभी गांवों में बिजली की आपूर्ति हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) क्या सरकार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पिछड़े तथा दुर्गम क्षेत्रों में स्थित गांवों के विद्युतीकरण हेतु विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) योजना का कार्यान्वयन कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो अभी तक डीडीजी योजना में शामिल किये गए गांवों की संख्या सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 01.04.2015 को देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत गांव थे। दिनांक 30.06.2017 तक 13,872 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों को विद्युतीकृत किए जाने की सूचना दी गई है। सभी गांवों को विद्युतीकृत किए जाने की समय-सीमा दिनांक 1 मई, 2018 है।

(ख) और (ग) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) का लक्ष्य उन गैर-विद्युतीकृत गांवों/वासस्थलों को विद्युत की पहुँच उपलब्ध करवाना है जहां ग्रिड की संबद्धता या तो व्यवहार्य नहीं है या फिर लागत प्रभावी नहीं है, जिनमें पिछड़े, दूर-दराज के, गैर-पहुँच वाले और वन क्षेत्रों में स्थित गांव शामिल हैं। डीडीजी बायोमास, बायोफ्यूल, बायोगैस, लघु जल विद्युत, सौर आदि जैसे नवीकरणीय स्रोतों से हो सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत, 1354.60 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से 4220 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिसमें दिनांक 30.06.2017 तक देशभर में विभिन्न राज्यों में 3,285 गैर-विद्युतीकृत गांव शामिल हैं। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 24.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 886 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीजी के अंतर्गत संस्वीकृत राज्य-वार परियोजना

क्रम सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	प्रभावी परियोजना लागत (रुपए करोड़ में)	कवर किए गए गैर-विद्युतीकृत गांव
1	आंध्र प्रदेश*	427	87.88	-
2	असम	521	294.81	521
3	अरुणाचल प्रदेश	1,176	159.32	1,176
4	छत्तीसगढ़	946	296.97	520
5	झारखंड	382	196.18	393
6	कर्नाटक	39	28.11	9
7	केरल*	15	5.32	-
8	मध्य प्रदेश	147	88.10	147
9	मेघालय	212	44.44	212
10	ओडिशा	276	97.02	275
11	तेलंगाना*	39	9.26	-
12	उत्तर प्रदेश	25	38.84	17
13	उत्तराखंड	15	8.37	15
कुल		**4,220**	**1,354.6**	**3,285**

* वासस्थलों के विद्युतीकरण के अनुसार परियोजनाएं

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-887

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

बिजली की कवरेज वाले क्षेत्र

887. श्री दिलीप कुमार तिर्कीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 25 प्रतिशत जनसंख्या को अभी भी बिजली की सुविधा प्राप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान नए विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने संबंधी उपलब्धि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 16.78 करोड़ ग्रामीण परिवार थे और 7.50 करोड़ ग्रामीण परिवार गैर विद्युतीकृत थे। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में सभी ग्रामीण घरों को विद्युत की पहुंच उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) भी शुरू की है। इस योजना में फीडर पृथक्करण, उप पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण; और ग्रामीण विद्युतीकरण शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(ग) : पिछले तीन वर्षों में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को दिए गए निःशुल्क विद्युत कनेक्शनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

2014-15	2015-16	2016-17
7,59,377	14,39,144	22,42,763

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 24.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 887 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

जनगणना 2011 के अनुसार गैर-विद्युतीकृत ग्रामीण घर

क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**शेष गैर-विद्युतीकृत ग्रामीण घर (करोड़ में)**
1	आंध्र प्रदेश	0.15
2	तेलंगाना	
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01
4	असम	0.39
5	बिहार	1.52
6	छत्तीसगढ़	0.13
7	गुजरात	0.10
8	हरियाणा	0.04
9	जम्मू व कश्मीर	0.03
10	झारखंड	0.32
11	कर्नाटक	0.10
12	केरल	0.03
13	मध्य प्रदेश	0.46
14	महाराष्ट्र	0.34
15	मणिपुर	0.01
16	मेघालय	0.02
17	नागालैंड	0.01
18	ओडिशा	0.52
19	पंजाब	0.01
20	राजस्थान	0.40
21	तमिलनाडु	0.09
22	त्रिपुरा	0.02
23	उत्तर प्रदेश	1.94
24	उत्तराखंड	0.02
25	पश्चिम बंगाल	0.82
सकल योग		**7.50**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-888

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

जल विद्युत परियोजनाओं में बाधा बन रही पर्यावरण संबंधी अनुमति

888. श्री संभाजी छत्रपतीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में नियोजित कई जल विद्युत परियोजनाएं पर्यावरण संबंधी अनुमति के कारण रुकी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या जल विद्युत परियोजनाओं हेतु पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त होने में काफी समय लगता है जिससे अनावश्यक विलंब होता है और यदि हां, तो पर्यावरण संबंधी अनुमति शीघ्र ही प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): जी, हां। वर्तमान में तीन निर्माणाधीन परियोजनाएं तथा सात अन्य परियोजनाएं पर्यावरण संबंधी अनुमति के कारण रूकी हुई हैं, जिनका विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है। एक परियोजना नामतः लोहारी नागपाला को पर्यावरणीय अनुमति के कारण छोड़ दिया गया है।

(ग) : पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एण्ड सीसी) द्वारा सरल बनाया गया है तथा इसने ऑन-लाइन प्रस्तुत करना तथा पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव स्वीकृतियों की निगरानी भी शुरू की है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 24.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 888 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पर्यावरणीय मुद्दों के कारण रुकी हुई निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	टिप्पणियां
	केंद्रीय क्षेत्र				
1	**लता तपोवन**	उत्तराखंड	एनटीपीसी	171	पर्यावरणीय मुद्दों के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 07.05.2014 के आदेश के कारण निर्माण बंद कर दिया गया।
2	**सुबानसिरी लोअर**	अरुणाचल प्रदेश/ असम	एनएचपीसी	2000 मेगावाट	एनजीटी, कोलकाता के दिनांक 16.12.2011 के निर्देशों के कारण निर्माण कार्य बंद कर दिया गया।
3	**पनन**	सिक्किम	हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि.	300	एनजीटी की स्वीकृति नहीं होने के कारण निर्माण कार्य अप्रैल, 2014 से बंद कर दिया गया।
4.	**लोहारियांग पाला**	उत्तराखंड	**एनटीपीसी**	600	डीपीआर को 11.02.2004 को सहमति दी गई। पर्यावरणीय मुद्दों के कारण परियोजना छोड़ दी गई।
डीपीआर को सहमति दी गई/कार्य शुरू नहीं किया गया					
5.	**पाला मनेरी**	उत्तराखंड	यूजेवीएनएल	480	डीपीआर को 23.02.2007 को सहमति दी गई। पर्यावरणीय मुद्दों के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ।
6.	**भैरोंघाटी**	उत्तराखंड	यूजेवीएनएल	381	डीपीआर को फरवरी, 2008 में सहमति दी गई। पर्यावरणीय मुद्दों के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ।
7.	**कोटलाभेल स्टे.-Iए**	उत्तराखंड	एनएचपीसी	195	डीपीआर को सहमति दी गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 07.05.2014 के आदेश के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ।
8.	**कोटलाभेल स्टे.-Iबी**	उत्तराखंड	एनएचपीसी	320	डीपीआर को सहमति दी गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 07.05.2014 के आदेश के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ।
9.	**कोटलाभेल स्टे.-II**	उत्तराखंड	एनएचपीसी	530	डीपीआर को सहमति दी गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 07.05.2014 के आदेश के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ।
10	**अलकनंदा**	उत्तराखंड	जीएमआरएल	300	डीपीआर को सहमति दी गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 07.05.2014 के आदेश के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-889

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत उत्पादन

889. श्री के. आर. अर्जुननः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान इस महीने की तुलना में फरवरी, 2017 में पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं आया है;

(ख) क्या ताप विद्युत संयंत्रों से बिजली के उत्पादन में मामूली कमी आयी है, लेकिन यह विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत रहा है जो देश की कुल विद्युत आपूर्ति का 92 प्रतिशत से अधिक पूरा करता है;

(ग) क्या उत्पादन लगभग 265 गीगावॉट की कुल अनुवीक्षित क्षमता के स्तर तक पहुंच गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन पिछले वर्ष के संगत माह के दौरान 89,011.13 मिलियन यूनिट (एमयू) की तुलना में फरवरी, 2017 के दौरान 89,285.92 मिलियन यूनिट (एमयू) था।

(ख) से (घ) : ताप विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन फरवरी, 2016 में 79,661.24 एमयू की तुलना में फरवरी**,** 2017 में 79,893.22 एमयू था। फरवरी, 2017 में ताप विद्युत उत्पादन का योगदान कुल उत्पादन का 89.25% था। फरवरी, 2017 में लगभग 89,285.92 एमयू का कुल विद्युत उत्पादन लगभग 265 गीगावाट की कुल निगरानी क्षमता के माध्यम से प्राप्त किया गया था।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-890

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

देश में बिजली की स्थिति

890. श्री दर्शन सिंह यादवः
श्रीमती रजनी पाटिलः
श्री पि. भट्टाचार्यः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हुई विद्युत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा कई उपाय किए जाने के बावजूद, विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर है जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत की कमी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, देश में विभिन्न स्रोतों (ताप, जल और न्यूक्लियर) से उत्पादित विद्युत उत्पादन का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार विद्युत उत्पादन **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ख) और (ग) : जी, नहीं। वर्ष भर में व्यस्ततम और ऊर्जा कमी उत्तरोत्तर घटा है और वर्ष 2016-17 में क्रमशः 1.6% एवं 0.7% था। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, निम्नलिखित कारणों की वजह से देश में कुछ राज्य विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं:

1. उपपारेषण और वितरण बाधाएं।-
2. राज्यों के स्वामित्व वाले उत्पादन स्टेशनों का खराब निष्पादन।
3. कई राज्य विद्युत यूटिलिटियों की खराब वित्तीय स्थिति।
4. उच्च सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां। (एटीएंडसी)

(घ) : देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान, पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 99,209 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है तथा नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 29,462 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है।

(ii) विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

(iii) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान, 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों के लक्ष्य की तुलना में 1,10,370 सर्किट किलोमीटर और 2,82,750 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता के लक्ष्य की तुलना में 3,31,214 एमवीए पूरी कर दी गई है।

(iv) भारत सरकार ने राज्यों की साझेदारी से सभी को 24x7 विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने हेतु राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने की पहल शुरू की है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए रोडमैप तैयार कर लिया गया है और कार्यान्वयनाधीन है।

(v) उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्कों को सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने और लाइनों की हानियों को कम करने के लिए कृषि फीडरों को पृथक करने हेतु भारत सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) नामक दो योजनाओं की शुरुआत की गई है।

(vi) भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा अन्य मांग पक्ष प्रबंधन उपायों के संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं।

(vii) केंद्र सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक तथा वित्तीय परिवर्तन के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।

(viii) भारत सरकार ने उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाए हैं।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 24.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 890 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न स्रोतों (ताप, जल और न्यूक्लियर) से विद्युत उत्पादन

श्रेणी	उत्पादन (एमयू)			
	2017-18 (जून,17 तक)*	2016-17	2015-16	2014-15
ताप	2,61,299.22	9,94,230.17	9,43,787.7	8,78,320.03
न्यूक्लियर	9,060.17	37,915.87	37,413.62	36,101.54
हाइड्रो	36,243.56	1,22,377.56	1,21,376.75	1,29,243.65
आयात (भूटान से)	1,059.56	5,617.34	5,244.21	5,007.74
हाइड्रो कुल	**37,303.12**	**1,27,994.9**	**1,26,620.96**	**1,34,251.39**
सकल योग	**3,07,662.51**	**11,60,140.94**	**11,07,822.28**	**10,48,672.96**

टिप्पणी: केवल 25 मेगावाट और उससे अधिक के स्टेशनों से उत्पादन

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 24.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 890 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (जून, 2017 तक) के लिए राज्य-वार उत्पादन

क्षेत्र	राज्य	उत्पादन (एमयू)			
		2017-18 (जून, 17 तक)*	2016-17	2015-16	2014-15
एनआर	बीबीएमबी	2,557.95	10,570	11,818.9	10,599.78
	दिल्ली	1,797.26	6,253.26	6,206.1	8,722.83
	हरियाणा	5,519.63	18,890.44	22,247.14	28,748.61
	हिमाचल प्रदेश	10,575.6	26,853.98	27,087.49	23,319.13
	जम्मू एवं कश्मीर	5,992.58	15,377.69	15,136.15	14,485.02
	पंजाब	5,392.29	26,492.18	23,342.89	22,960.9
	राजस्थान	11,688.03	51,792.17	53,947.35	54,185.92
	उत्तर प्रदेश	33,084.36	1,20,142.11	1,11,329.53	1,11,901.74
	उत्तराखण्ड	4,007.52	14,250.54	12,765.92	11,439.22
एनआर कुल		**80,615.22**	**2,90,622.37**	**2,83,881.47**	**2,86,363.15**
डब्ल्यूआर	छत्तीसगढ़	28,792.57	1,05,686.18	89,513.29	79,710.57
	गोवा	0	0	0	12.61
	गुजरात	24,695.14	99,748.61	1,04,917.26	1,05,538.54
	मध्य प्रदेश	27,283.77	98,599.98	95,740.5	75,212.47
	महाराष्ट्र	33,159.43	1,18,091.71	1,17,244.43	1,07,309.21
डब्ल्यूआर कुल		**1,13,930.91**	**4,22,126.48**	**4,07,415.48**	**3,67,783.4**
एसआर	आंध्र प्रदेश	16,117.79	65,248.16	58,230.59	45,245.42
	कर्नाटक	10,682.88	43,766.67	47,553.25	50,163.29
	केरल	1,184.07	4,130.61	6,653.34	8,034.17
	पुडुचेरी	56.25	246.84	227.59	102.14
	तमिलनाडु	20,812.84	84,581.68	76,406.83	71,418.41
	तेलंगाना	11,640.61	43,391.23	36,868.2	40,901.97
एसआर कुल		**60,494.44**	**2,41,365.19**	**2,25,939.8**	**2,15,865.4**
ईआर	अंडमान निकोबार	46.4	215.56	182.85	153.76
	बिहार	6,680.43	24,514.85	20,827.01	18,272.27
	डीवीसी	9,382.33	33,566.47	28,029.93	25,551.11
	झारखण्ड	3731.6	14,727.43	15,933.67	14,621.88
	ओडिशा	12,165.76	55,841.18	5,7221.8	51,332.44
	सिक्किम	2,353.36	4330.4	3,551.92	3,345.29
	पश्चिम बंगाल	13,586.74	52,192.69	46,946.62	49,742.02
ईआर कुल		**47,946.62**	**1,85,388.58**	**1,72,693.8**	**1,63,018.77**
एनईआर	अरूणाचल प्रदेश	376.25	1,249.01	1,280.25	1,109.48
	असम	1,133.36	5,981.37	4,522.12	4,299.84
	मणिपुर	226.17	741.07	536.64	372.44
	मेघालय	295.32	916.7	1,035.99	863.15
	नागालैंड	41.14	258.94	163.14	165.15
	त्रिपुरा	1,543.52	5,873.89	5,109.38	3,824.44
एनईआर कुल		**3,615.76**	**15,020.98**	**12,647.52**	**10,634.5**
आयात	भूटान (आयात)	1,059.56	5,617.34	5,244.21	5,007.74
आयात कुल		**1,059.56**	**5,617.34**	**5,244.21**	**5,007.74**
सकल योग		**3,07,662.51**	**11,60,140.94**	**11,07,822.28**	**10,48,672.96**

* वास्तविक-सह-मूल्यांकन पर आधारित अनंतिम

टिप्पणी: 1. केवल 25 मे.वा. एवं इससे अधिक के पारंपरिक स्रोतों (ताप, जल और परमाणु ऊर्जा) से उत्पादन

2. उपरोक्त आंकड़े संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भौगोलिक रूप से स्थित सभी विद्युत स्टेशनों (केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र) के सकल उत्पादन को दर्शाते हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-891

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

राज्य सरकारों द्वारा डिसकॉम की अल्पकालिक देयता का भार ग्रहण करना

891. श्री हुसैन दलवई:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्य सरकारों को अपने राज्यों में विद्युत डिसकॉम की अल्पकालिक देयता का भार ग्रहण करना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अब तक भार ग्रहण की गई ऋण राशि का डिसकॉम-वार, राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे आम आदमी के लिए विद्युत टैरिफ प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप टैरिफ दर कहां कम हुई है, तत्संबंधी राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इससे राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो इससे किस ढंग से निपटा जाएगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वित्तीय पुनर्संरचना योजना (एफआरपी), 2012 के अंतर्गत भागीदार राज्यों द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 12576 करोड़ रुपए के ऋण का अधिग्रहण किया गया है और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत भागीदार राज्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान 2.09 लाख करोड़ रुपए का ऋण लिया गया है। एफआरपी एवं उदय के अंतर्गत राज्यों द्वारा लिए गए ऋण का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ) : प्रशुल्कों का निर्धारण ऋण की लागत, विद्युत क्रय लागत, प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत, पूंजीगत व्यय आदि सहित कई पैरामीटरों को ध्यान में रखकर संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) द्वारा किया जाता है। कोई भी प्रभाव इन कारकों पर निर्भर करता है।

(ङ) और (च) : डिस्कॉमों की वित्तीय देयताएं संबंधित राज्य सरकारों की आकस्मिक देयताएं होती हैं और इस प्रकार डिस्कॉमों की वित्तीय देयताएं, उदय के होने या न होने के बिना भी, राज्यों द्वारा स्वयं वहन की जाती है। तथापि, राज्यों द्वारा ऋण लेने के पश्चात निम्न ब्याज दरों के कारण ऋण भार में कमी हुई है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 24.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 891 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा लिए गए डिस्कॉमों के ऋणों का ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष							सकल योग		
		2014-15	2015-16			2016-17					
		एफआरपी-12	एफआरपी-12	उदय	कुल	एफआरपी-12	उदय	कुल	एफआरपी-12	उदय	कुल
1	2				3			4			
1	राजस्थान	1806		37350	37350		22372	22372	1806	59722	61528
2	उत्तर प्रदेश	5270		24332	24332		14801	14801	5270	39133	44403.29
3	छत्तीसगढ़			870	870			0	0	870	870
4	झारखंड			6136	6136		0	0	0	6136	6136
5	पंजाब			9860	9860		5769	5769	0	15629	15629
6	बिहार			1553	1553		779	779	0	2332	2332
7	जम्मू व कश्मीर			2140	2140		1398	1398	0	3538	3538
8	हरियाणा			17300	17300		8651	8651	0	25951	25951
9	आंध्र प्रदेश	1500			0		8256	8256	1500	8256	9756
10	मध्य प्रदेश				0		7360	7360	0	7360	7360
11	महाराष्ट्र				0		4960	4960	0	4960	4960
12	हिमाचल प्रदेश				0		2891	2891	0	2891	2891
13	तेलंगाना				0		8923	8923	0	8923	8923
14	तमिलनाडु	1000	1000	0	1000	2000	22815	24815	4000	22815	26815
15	मेघालय						125	125	0	125	125
कुल		9576	1000	99541	100541	2000	109100	111100	12576	208641	221217

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-892

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत का आवश्यकता से अधिक उत्पादन

892. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का उद्देश्य हमारे देश में आवश्यकता से अधिक विद्युत उत्पादन करने और इसे निर्यात सक्षम बनाने का भी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देशी खपत के लिए विद्युत का टैरिफ/मूल्यों में कमी करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वर्तमान में, देश में मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए आवश्यकता से अधिक क्षमता है। भारत वर्तमान में, नेपाल और बांग्लादेश को विद्युत का निवल निर्यातक है।

(ग) और (घ) : घरेलू उपभोक्ताओं सहित उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों का प्रशुल्क विभिन्न कारकों जैसे कि आपूर्ति की लागत, जो कि डिस्कॉम की प्रचालनात्मक और वित्तीय दक्षता तथा उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के बीच क्रॉस सब्सिडी पर निर्भर करती है, पर विचार करते हुए राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत सरकार ने डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक और वित्तीय दक्षता को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) देश की विद्युत वितरण यूटिलिटियों (डिस्कॉमों) के वित्तीय और प्रचालनात्मक टर्नअराउंड के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) स्कीम।

(ii) निर्बाध विद्युत लाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सभी के लिए विद्युत (पीएफए) पहल।

(iii) ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों का सुदृढ़ीकरण।

(iv) शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण के लिए एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस)

(v) पारेषण अवरोधों को दूर करने के लिए पारेषण क्षमता बढ़ाना।

(vi) विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-893

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

जल विद्युत उत्पादन को हतोत्साहित करना

893. डॉ. कनवर दीप सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में जल विद्युत उत्पादन को हतोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केंद्रीय क्षेत्र में तनावग्रस्त जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और

(घ) उन्हें पुनः उत्पादन करने लायक बनाने/आरंभ करने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : वर्तमान में, देश में केंद्रीय क्षेत्र में लता तपोवन एचईपी (171 मेगावाट) एवं सुबानसिरी लोअर एचईपी (2000 मेगावाट) नामक केवल दो निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) रुकी हुई हैं। इनके रुके होने के कारणों सहित इन परियोजनाओं के ब्यौरे तथा इन्हें पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 24.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 893 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

रुकी हुई निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

(30.06.2017 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	परियोजना का नाम/ निष्पादना एजेंसी/ क्षमता (मेगावाट)	राज्य	रुकने के कारण	सरकार/विकासकर्ता द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदम
1	**लता तपोवन,** एनटीपीसी लिमिटेड 3x57=171 मेगावाट	उत्तराखंड	माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 07.05.2014 के आदेश के द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया।	**मामला न्यायाधीन है।**
2	**सुबानसिरी लोअर** एनएचपीसी लिमिटेड 8x250=2000 मेगावाट	अरुणाचल प्रदेश/असम	-बांध की सुरक्षा और बांध के अनुप्रवाही प्रभावों पर विभिन्न सक्रियतावादियों द्वारा आंदोलन करने पर, दिनांक 16.12.2011 से कार्य रुका। - मामला माननीय एनजीटी, कोलकाता बैंच में।	सुबानसिरी लोअर एचईपी से संबंधित मामले की माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), कोलकाता द्वारा सुनवाई की जा रही है। 11 दिसंबर, 2015 को हुई सुनवाई में माननीय एनजीटी ने जनता और संपत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए आपातकालीन अनुरक्षण कार्य करने के लिए एनएचपीसी को अनुमति दी। तथापि, माननीय एनजीटी ने आदेश दिया कि परियोजना के लिए कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाए। 25 एवं 26 मई, 2017 को अंतिम सुनवाई में माननीय एनजीटी द्वारा प्रतिवादी की अपील की सुनवाई की और सभी पक्षों के काबिल वकीलों को बहस के संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने का आदेश दिया जिसे प्रस्तुत कर दिया गया है। फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है। एक अन्य याचिका माननीय एनजीटी, कोलकाता के समक्ष दायर की गई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि एनएचपीसी द्वारा कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन किया गया है और नई पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं ली गई है। माननीय एनजीटी द्वारा नोटिस जारी किया गया और 17 जुलाई, 2017 को सुनवाई की तिथि नियत की गई। सुनवाई की अगली तिथि 11 अगस्त, 2017 निर्धारित की गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-894

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

चिय्यूर, तमिलनाडु में यूएमपीपी की स्थिति

894. डॉ. वी. मैत्रेयनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार से राज्य के चिय्यूर में 4000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उक्त परियोजना के कार्यान्वयन में कोई बाधाएं हैं;

(ग) क्या सरकार ने यूएमपीपी के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने के लिए बाधाओं को दूर करने के लिए कोई उचित उपचारी कदम, यदि कोई उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री का दिनांक 19.12.2016 का एक कार्यालय ज्ञापन, जो प्रधानमंत्री के कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ था, जिसमें चेय्यूर अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के लिए बोली प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया गया था, का यथासमय उत्तर दे दिया गया था तथा तमिलनाडु ने घरेलू कोयले के प्रयोग का सुझाव दिया और कोयला ब्लॉक का अनुरोध किया।

(ख) से (घ) : विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति बोलियां आमंत्रित करने के उद्देश्य से मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) की समीक्षा कर रही है। परियोजना की वर्तमान स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 24.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 894 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

चेय्यूर यूएमपीपी के कार्यान्वयन की स्थिति
(जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु)

<table>
<tr><td>भूमि</td><td>परियोजना के लिए लगभग 1272 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। भूमि अधिग्रहण की स्थिति नीचे दी गई हैः
<table>
<tr><td>क्रम सं.</td><td></td><td>आवश्यक भूमि (एकड़)</td><td>स्थिति</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>मुख्य संयंत्र और कैप्टिव पोर्ट भूमि</td><td>1143.39</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>निजी भूमि</td><td>655.15</td><td>623 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।</td></tr>
<tr><td>सरकारी भूमि</td><td>488.24</td><td>333 एकड़ भूमि के लिए तमिलनाडु सरकार ने सरकारी आदेश जारी किए।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कॉरीडोर भूमि</td><td>128.98</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>निजी भूमि</td><td>101.88</td><td rowspan="2">107.53 एकड़ भूमि के लिए तमिलनाडु सरकार ने सरकारी आदेश जारी किए।</td></tr>
<tr><td>सरकारी भूमि</td><td>27.10</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>जल</td><td>"सैद्धांतिक रूप से" समुद्री जल के उपयोग के लिए तमिलनाडु मैरीटाइम बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ।</td></tr>
<tr><td>ईंधन</td><td>यह यूएमपीपी आयातित कोयले पर आधारित है। कोयले का प्रबंध विकासकर्ता द्वारा किया जाना होता है। 17.03.2017 को आयोजित बैठक के दौरान तमिलनाडु के माननीय विद्युत एवं गैर-पारंपरिक ऊर्जा मंत्री ने यूएमपीपी आधारित घरेलू कोयले के रूप में परियोजना के परिवर्तन की व्यवहार्यता तलाशने का सुझाव दिया। घरेलू कोयले पर यूएमपीपी का विकास करने की संभावना तलाशी जा रही है।</td></tr>
<tr><td>स्वीकृति</td><td>• एमओईएफ, भारत सरकार द्वारा 30.09.2013 को मुख्य संयंत्र हेतु पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई है।
• एमओईएफ, भारत सरकार ने 30.11.2012 को पनियूर, कांचीपुरम में कैप्टिव जेट्टी के लिए पर्यावरणीय तथा सीआरजेड स्वीकृति प्रदान की।
• एमओईएफ, भारत सरकार ने 07.12.2012 को चरण-1 वन स्वीकृति (24.29 एकड़) जारी की।
• 21.12.2009 को एएआर से स्वीकृति प्राप्त।</td></tr>
<tr><td>विद्युत आबंटन</td><td>तमिलनाडु (1600 मेगावाट), कर्नाटक (800 मेगावाट), महाराष्ट्र (400 मेगावाट), आंध्र प्रदेश (400 मेगावाट), उत्तर प्रदेश (300 मेगावाट), केरल (300 मेगावाट) और पंजाब (200 मेगावाट)।</td></tr>
</table>

एसबीडी प्रारूप सरकार के अनुमोदन के अधीन है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-895

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

अतिरिक्त विद्युत उत्पादन

895. कुमारी शैलजाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान पंच वर्षीय योजना की अवधि के लिए अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का वर्ष-वार लक्ष्य क्या है;

(ख) केन्द्र, राज्य और निजी क्षेत्र से विद्युत उत्पादन में अंशदान का वार्षिक लक्ष्य क्या है;

(ग) योजना की अवधि के प्रथम दो वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन में वास्तविक बढ़ोत्तरी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि वार्षिक क्षमता में वर्धन के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में गिरावट दिखाई दी है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्ष 2012-2017 अवधि की 12वीं पंचवर्षीय योजना दिनांक 31.03.2017 को समाप्त हो गई। तत्पश्चात, पंचवर्षीय योजनाओं की कल्पना समाप्त हो गई है। तथापि, वर्ष 2017-18 के लिए उत्पादन लक्ष्य 1229.40 बिलियन यूनिट (बीयू) निर्धारित किया गया है।

(ख) : वर्ष 2017-18 के दौरान केन्द्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादन सुविधाओं से अंशदान का वार्षिक लक्ष्य क्रमश: 6,180 मेगावाट, 3,810 मेगावाट और 3,181.15 मेगावाट है।

(ग): 12वीं योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों 2012-13 और 2013-14 के दौरान वास्तविक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि क्रमश: 20,631.8 मेगावाट और 17,825.01 मेगावाट थी।

(घ) और (ङ) : 12 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 88,537 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में 99,209.47 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि प्राप्त की गई थी। अत: 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-896

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत वितरण कंपनियों का कर्ज

896. श्री मेघराज जैनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश की विद्युत वितरण कंपनियों के विगत तीन वर्षों में ऋण, लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियां निजी स्वामित्व वाली विद्युत कंपनियों की तुलना में निरंतर अधिक कर्ज में हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार विद्युत वितरण कंपनियों का कर्ज कम करने के लिए कोई कदम उठा रही हैं, यदि हां, तो उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड द्वारा प्रकाशित 'राज्य विद्युत यूटिलिटियों की कार्य निष्पादन संबंधी रिपोर्ट' के अनुसार वर्ष 2012-2013 से 2014-2015 के लिए सकल हानियां तथा बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना तथा टाटा पावर (टीपीडीडीएल) जैसी निजी यूटिलिटियों के लिए उपलब्ध आंकडों सहित उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत का विक्रय करने वाली यूटिलिटियों के लिए कुल बकाया ऋण नीचे दिया गया है:-

	2012-13	**2013-14**	**2014-15**
प्राप्त सब्सिडी आधार पर लाभ/(हानि) (रुपए करोड़ में)	(71,621)	(67,336)	(58,275)
कुल बकाया ऋण (रुपए करोड़ में)	3,04,228	3,65,013	4,06,825

राज्य-वार और यूटिलिटी-वार लाभ/हानि का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है और राज्य-वार और यूटिलिटी-वार बकाया ऋण का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ख) : वितरण यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति भौगोलिक फैलाव, उनके उपभोक्ताओं के श्रेणी-वार विवरण, खपत की पद्धति, प्रशुल्क अवसंरचना तथा वितरण अवसंरचना के स्तर सहित कई मापदंडों पर निर्भर करती है और इस प्रकार ऋण के स्तरों की पूरी तरह से तुलना नहीं हो सकती है।

(ग) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय परिवर्तन के लिए दिनांक 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की थी। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत, अब तक 26 राज्य और 01 संघ राज्य क्षेत्र उदय योजना में शामिल हो चुके हैं तथा ऋण को चुकाने के लिए राज्यों एवं उनकी विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा 2.32 लाख करोड़ रुपए की राशि के बॉन्ड जारी किए गए हैं।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 24.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 896 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

हुई हानियों का राज्य-वार और यूटिलिटी-वार ब्यौरा करोड़ में

			2012-13	2013-14	2014-15
क्षेत्र	**राज्य**	**यूटिलिटी**	**सब्सिडी प्राप्त आधार पर लाभ/(हानि)**	**सब्सिडी प्राप्त आधार पर लाभ/(हानि)**	**सब्सिडी प्राप्त आधार पर लाभ/(हानि)**
पूर्वी	**बिहार**	बीएसईबी	(1,088)	0	0
		एनबीपीडीसीएल	(56)	(74)	(491)
		एसबीपीडीसीएल	(84)	(269)	(748)
	बिहार कुल		**(1,227)**	**(343)**	**(1,239)**
	झारखण्ड	जेएसईबी	(2,668)	(3,950)	0
		जेबीवीएनएल	0	(71)	(37)
	झारखण्ड कुल		**(2,668)**	**(4,021)**	**(37)**
	ओडिशा	सीईएसयू	(316)	(199)	(202)
		एनईएससीओ	(77)	(45)	(123)
		एसईएससीओ	(34)	(11)	(379)
		डब्ल्यूईएससीओ	(132)	(87)	(224)
	ओडिशा कुल		**(559)**	**(342)**	**(929)**
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	39	33	(126)
	सिक्किम कुल		**39**	**33**	**(126)**
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	82	19	20
	पश्चिम बंगाल कुल		**82**	**19**	**20**
पूर्वी कुल			**(4,332)**	**(4,654)**	**(2,310)**
पूर्वोत्तर	**अरुणाचल प्रदेश**	अरुणाचल पीडी	(255)	(428)	(257)
	अरुणाचल प्रदेश कुल		**(255)**	**(428)**	**(257)**
	असम	एपीडीसीएल	(568)	(693)	(578)
	असम कुल		**(568)**	**(693)**	**(578)**
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	(315)	(194)	0
		एमएसपीडीसीएल	0	0	0
	मणिपुर कुल		**(315)**	**(194)**	**0**
	मेघालय	एमईपीडीसीएल	(221)	(295)	(202)
	मेघालय कुल		**(221)**	**(295)**	**(202)**
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	(200)	(192)	(192)
	मिजोरम कुल		**(200)**	**(192)**	**(192)**
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	(212)	(191)	(315)
	नागालैंड कुल		**(212)**	**(191)**	**(315)**
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	(107)	(62)	(82)

	त्रिपुरा कुल		**(107)**	**(62)**	**(82)**
पूर्वोत्तर कुल			**(1,880)**	**(2,056)**	**(1,625)**
उत्तरी	**दिल्ली**	बीएसईएस राजधानी	21	8	63
		बीएसईएस यमुना	25	11	19
		टीपीडीडीएल	310	334	336
	दिल्ली कुल		**356**	**353**	**418**
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	(1,352)	(2,089)	(636)
		यूएचबीवीएनएल	(2,297)	(1,465)	(1,481)
	हरियाणा कुल		**(3,649)**	**(3,554)**	**(2,117)**
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लिमिटेड	(340)	(137)	(125)
	हिमाचल प्रदेश कुल		**(340)**	**(137)**	**(125)**
	जम्मू एवं कश्मीर	जेएण्डके पीडीडी	(3,129)	(2,387)	(3,913)
	जम्मू एवं कश्मीर कुल		**(3,129)**	**(2,387)**	**(3,913)**
	पंजाब	पीएसपीसीएल	94	249	(1,100)
	पंजाब कुल		**94**	**249**	**(1,100)**
	राजस्थान	एवीवीएनएल	(3,905)	(4,843)	(3,593)
		जेडीवीवीएनएल	(4,285)	(5,299)	(4,146)
		जेवीवीएनएल	(4,161)	(5,503)	(4,735)
	राजस्थान कुल		**(12,351)**	**(15,645)**	**(12,474)**
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	(3,364)	(5,521)	(2,936)
		केईएससीओ	(545)	(674)	(168)
		एमवीवीएन	(2,033)	(3,263)	(1,994)
		पश्च वीवीएन	(1,303)	(3,172)	(1,577)
		पूर्व वीवीएन	(2,533)	(4,095)	(2,000)
	उत्तर प्रदेश कुल		**(9,778)**	**(16,724)**	**(8,675)**
	उत्तराखण्ड	उत् पीसीएल	(16)	323	(260)
	उत्तराखण्ड कुल		**(16)**	**323**	**(260)**
उत्तरी कुल			**(28,814)**	**(37,521)**	**(28,245)**
दक्षिणी	**आंध्र प्रदेश**	एपीसीपीडीसीएल	(7,718)	(811)	0
		एपीईपीडीसीएल	(1,681)	(136)	(722)
		एपीएनपीडीसीएल	(3,445)	(31)	0
		एपीएसपीडीसीएल	(4,678)	(401)	(1,827)
	आंध्र प्रदेश कुल		**(17,522)**	**(1,379)**	**(2,549)**
	कर्नाटक	बीईएससीओएम	(433)	76	113
		सीएचईएससीओएम	(337)	(72)	37
		जीईएससीओएम	(189)	38	(110)
		एचईएससीओएम	41	(576)	30
		एमईएससीओएम	13	0	14
	कर्नाटक कुल		**(905)**	**(534)**	**85**
	केरल	केएसईबी	241	140	0
		केएसईबीएल	0	(24)	(1,273)
	केरल कुल		**241**	**116**	**(1,273)**
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	(308)	(60)	157

	पुडुचेरी कुल		**(308)**	**(60)**	**157**
	तमिलनाडु	टीएएनजीईडीसीओ	(12,064)	(14,052)	(12,757)
	तमिलनाडु कुल		**(12,064)**	**(14,052)**	**(12,757)**
	तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल	0	0	(1,741)
		टीएसएसपीडीसीएल	0	0	(1,171)
	तेलंगाना कुल		**0**	**0**	**(2,912)**
दक्षिणी कुल			**(30,559)**	**(15,909)**	**(19,249)**
पश्चिमी	**छत्तीसगढ़**	सीएसपीडीसीएल	(498)	(630)	(1,569)
	छत्तीसगढ़ कुल		**(498)**	**(630)**	**(1,569)**
	गोवा	गोवा पीडी	(285)	(4)	(17)
	गोवा कुल		**(285)**	**(4)**	**(17)**
	गुजरात	डीजीवीसीएल	25	52	51
		एमजीवीसीएल	21	19	29
		पीजीवीसीएल	11	10	11
		यूजीवीसीएल	14	14	17
	गुजरात कुल		**71**	**95**	**108**
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	(1,595)	(2,672)	(2,765)
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	(1,425)	(1,811)	(1,061)
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	(1,432)	(1,893)	(1,175)
	मध्य प्रदेश कुल		**(4,452)**	**(6,376)**	**(5,001)**
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	(871)	(280)	(366)
	महाराष्ट्र कुल		**(871)**	**(280)**	**(366)**
पश्चिमी कुल			**(6,036)**	**(7,196)**	**(6,845)**
सकल योग			**(71,621)**	**(67,336)**	**(58,275)**

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 24.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 896 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

बकाया ऋण का राज्यवार ब्यौरा रुपए करोड़ में-वार और यूटिलिटी-					
क्षेत्र	**राज्य**	**यूटिलिटी**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
पूर्वी	**बिहार**	बीएसईबी			
		एनबीपीडीसीएल	1,281	1,654	1,776
		एसबीपीडीसीएल	1,682	2,174	2,040
	बिहार कुल		2,963	3,827	3,816
	झारखण्ड	जेएसईबी	9,795		
		जेबीवीएनएल		125	265
	झारखण्ड कुल		9,795	125	265
	ओडिशा	सीईएसयू	1,668	1,949	2,163
		एनईएससीओ	670	704	933
		एसईएससीओ	548	557	721
		डब्ल्यूईएससीओ	589	587	769
	ओडिशा कुल		3,476	3,797	4,585
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	0	0	0
	सिक्किम कुल		0	0	0
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	9,197	11,648	12,871
	पश्चिम बंगाल कुल		9,197	11,648	12,871
पूर्वी कुल			**25,430**	**19,398**	**21,536**
पूर्वोत्तर	**अरुणाचल प्रदेश**	अरुणाचल पीडी	0	0	0
	अरुणाचल प्रदेश कुल		0	0	0
	असम	एपीडीसीएल	1,351	1,591	2,260
	असम कुल		1,351	1,591	2,260
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	79	0	0
		एमएसपीडीसीएल	0	0	0
	मणिपुर कुल		79	0	0
	मेघालय	एमईपीडीसीएल	324	266	388
	मेघालय कुल		324	266	388
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	39	37	32
	मिजोरम कुल		39	37	32
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	150	0	328
	नागालैंड कुल		150	0	328
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	204	204	237
	त्रिपुरा कुल		204	204	237
पूर्वोत्तर कुल			**2,148**	**2,099**	**3,246**

उत्तरी	**दिल्ली**	बीएसईएस राजधानी	4,599	4,167	3,702
		बीएसईएस यमुना	3,171	2,961	2,858
		टीपीडीडीएल	3,762	3,940	3,782
	दिल्ली कुल		11,532	11,068	10,343
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	8,056	10,750	14,659
		यूएचबीवीएनएल	14,515	17,950	19,425
	हरियाणा कुल		22,571	28,700	34,085
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लिमिटेड	4,522	4,374	4,590
	हिमाचल प्रदेश कुल		4,522	4,374	4,590
	जम्मू एवं कश्मीर	जेएण्डके पीडीडी	147	152	166
	जम्मू एवं कश्मीर कुल		147	152	166
	पंजाब	पीएसपीसीएल	19,795	19,771	21,903
	पंजाब कुल		19,795	19,771	21,903
	राजस्थान	एवीवीएनएल	22,667	24,812	27,017
		जेडीवीवीएनएल	20,954	23,493	25,956
		जेवीवीएनएल	20,520	24,553	28,176
	राजस्थान कुल		64,141	72,858	81,149
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	10,503	17,950	20,477
		केईएससीओ	1,979	3,160	3,151
		एमवीवीएन	6,642	10,163	10,704
		पश्च वीवीएन	6,819	9,956	9,941
		पूर्व वीवीएन	7,694	12,370	12,709
	उत्तर प्रदेश कुल		33,637	53,599	56,982
	उत्तराखण्ड	उत् पीसीएल	1,344	1,201	1,388
	उत्तराखण्ड कुल		1,344	1,201	1,388
उत्तरी कुल			**1,57,689**	**1,91,723**	**2,10,607**
दक्षिणी	**आंध्र प्रदेश**	एपीसीपीडीसीएल	7,808	8,793	
		एपीईपीडीसीएल	3,233	3,554	3,879
		एपीएनपीडीसीएल	4,159	4,306	
		एपीएसपीडीसीएल	6,302	6,913	9,958
	आंध्र प्रदेश कुल		21,502	23,567	13,837
	कर्नाटक	बीईएससीओएम	3,419	4,524	5,489
		सीएचईएससीओएम	336	539	964
		जीईएससीओएम	455	582	726
		एचईएससीओएम	1,126	1,343	1,983
		एमईएससीओएम	453	631	677
	कर्नाटक कुल		5,789	7,619	9,838
	केरल	केएसईबी	4,077		
		केएसईबीएल		5,261	5,810
	केरल कुल		4,077	5,261	5,810
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	0	0	0
	पुडुचेरी कुल		0	0	0
	तमिलनाडु	टीएएनजीईडीसीओ	45,198	66,105	75,467

	तमिलनाडु कुल		45,198	66,105	75,467
	तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल			4,867
		टीएसएसपीडीसीएल			7,059
	तेलंगाना कुल				11,926
दक्षिणी कुल			**76,566**	**1,02,552**	**1,16,877**
पश्चिमी	**छत्तीसगढ़**	सीएसपीडीसीएल	1,052	1,502	1,907
	छत्तीसगढ़ कुल		1,052	1,502	1,907
	गोवा	गोवा पीडी	109	97	54
	गोवा कुल		109	97	54
	गुजरात	डीजीवीसीएल	274	271	223
		एमजीवीसीएल	335	275	302
		पीजीवीसीएल	1,278	1,047	1,136
		यूजीवीसीएल	536	431	524
	गुजरात कुल		2,423	2,024	2,186
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	7,593	9,604	11,762
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	7,055	8,346	9,807
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	8,038	9,966	11,822
	मध्य प्रदेश कुल		22,685	27,916	33,391
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	16,127	17,703	17,021
	महाराष्ट्र कुल		16,127	17,703	17,021
पश्चिमी कुल			**42,396**	**49,242**	**54,559**
सकल योग			**3,04,228**	**3,65,013**	**4,06,825**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-897

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

बिना बसावट वाले गांवों में विद्युतीकरण

897. श्री रिपुन बोराः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 700 से अधिक गांवों का विद्युतीकरण किया है जहां एक भी व्यक्ति नहीं रहता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों में धन व्यय करने के क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे गांवों को ग्रिड से जोड़ने के लिए व्यय हुई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) 'सभी के लिए विद्युत' परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 01.04.2015 तक देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत गांव थे जिनमें से दिनांक 30.06.2017 तक 962 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव गैर-अबादी वाले पाए गए और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत, इन गैर-आबादी वाले गांवों में विद्युतीकरण कार्य नहीं किए गए हैं।

(घ) : सभी के लिए 24x7 विद्युत एक रोडमैप है जिसमें राज्य की नीति के अनुसार, सभी के लिए 24x7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने और कृषि उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त पहल की गई है। देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सभी के लिए 24x7 विद्युत के लिए दस्तावेज हस्ताक्षर किए गए हैं।

****